उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/5430/चार–12–14/10 जबलपुर, दिनांक 05/11/2022

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ....(समस्त)...........मध्यप्रदेश,
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ....(समस्त)...........मध्यप्रदेश,
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. श्री एम.आर पाण्डेय, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया इंदौर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– **मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी, कार्य विभाग, भोपाल, का पत्र फा.क्रमांक 4078/इक्कीस–ब (एक)/2022 भोपाल, दिनांक 06.10.2022 सहित।**

3.11.

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम.)

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (2), in clause (ii), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provoded that such Judicial Officers who retired after 1st January, 1996 and prior to 1st Janary, 2006 and whose pension has been revised in accordance with clause (ii) of sub-rule (2) of rule 11 of the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010 and such retired Judicial Officers whose pension had been consolidated according to Karnataka model, the full family pension in respect of the family pensioners, shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. January, 2006 which shall not be less than 30% of the pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn by the Judicial Officer at the time of his retirement.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी.के.द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4078/2022/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 06 /10/2022

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, की ओर ज्ञापन क्रमांक बी/3425 दिनांक 07.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
12 OCT 2022
1031

(उमेश पाण्डव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक /10/2022

फा.क्रमांक 4078/इक्कीस–ब (एक)/2022, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (दो) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम 11 के उप–नियम (2) के खण्ड (दो) के अनुसार पुनरीक्षित की गई हैं तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिनकी पेंशन कर्नाटक मॉडल के अनुरूप समेकित की गई थी, की पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में पूर्ण पारिवारिक पेंशन जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो न्यायिक अधिकारी द्वारा उसके सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"।

NOTIFICATION

F.NO. 4078/XXI-B(One)/2020 –In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits)Rules, 2010, namely:-